



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

पो0ऑ0-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

Website- [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

Email - [sewatwo2@gmail.com](mailto:sewatwo2@gmail.com)



मोबाइल नं0  
7060002410

विज्ञापन संख्या – 05/विज्ञापन/सेवा-2/2015-16

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह-‘ख’ के अन्तर्गत वरिष्ठ विश्लेषक-औषधि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	– 27 जनवरी, 2016 ( बुधवार )
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	– 13 फरवरी, 2016 ( शनिवार )( रात्रि 11.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	– 19 फरवरी, 2016, ( शुक्रवार )

### अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

**01-** अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

**02-** आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) एवं भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

**03-** अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **13 फरवरी, 2016** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

**04-** आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन-लाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

**05-** आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**06-** अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से 05 वर्षों तक के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है।

**07-** प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑन लाइन आवेदन एवं बैंक चालान (भारतीय स्टेट बैंक) के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**08-** अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही आवेदन पत्र भर लें।

**09-** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "Online Application" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करने एवं बैंक चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

10- अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु, एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के संबंधित पद हेतु, इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

11- प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार के पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-02** पर संलग्न है।

12- साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु समस्त प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण आदि) की छायाप्रति कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13- परीक्षा के आगामी चरण में अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-03** पर संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

14- यदि अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक-तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है, साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशत (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-04** में निर्धारित प्रारूप पर परीक्षा के आगामी चरण में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह-‘ख’ के अन्तर्गत वरिष्ठ विश्लेषक-औषधि के रिक्त 02 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु सीधे साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

**पदनाम एवं रिक्तियों की संख्या :** वरिष्ठ विश्लेषक- औषधि पद की रिक्तियों की कुल संख्या 02 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					महिला	स्व0 सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (विकलांग)	पूर्व सैनिक
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
01	वरिष्ठ विश्लेषक – औषधि (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	समूह-ख	अनारक्षित	01	—	—	—	—
			अनु0 जाति	01	—	—	—	—
			अनु0 जनजाति	—	—	—	—	—
			अ0पि0वर्ग	—	—	—	—	—
			<b>योग</b>	<b>02</b>	<b>—</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

**नोट-** अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के संबंधित पद हेतु, इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

## विज्ञापित पद का विस्तृत विवरण

**वरिष्ठ विश्लेषक- औषधि (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), श्रेणी ‘ख’**

- (i) पदों की संख्या- 02 पद (01 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)
- (ii) वेतनमान- ₹0 15,600- 39,100 - ग्रेड पे0- 5400/-
- (iii) पद का स्वरूप- राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन योजना।
- (iv) शैक्षिक अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता - भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से औषधि विज्ञान या भेषज विज्ञान या भेषज्य रसायन में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता के साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन नियुक्त राजकीय विश्लेषक या सरकार द्वारा

तत्प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी परीक्षण प्रयोगशाला के प्रधान के नियन्त्रणाधीन किसी प्रयोगशाला में औषधियों के परीक्षण में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

### अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से औषधि विज्ञान या भेषज विज्ञान या भेषज्य रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या एक विषय के रूप में औषधि विश्लेषण और भेषज्य के साथ इन्स्टीट्यूशन ऑफ कैमिस्ट (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा के साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन नियुक्त राजकीय विश्लेषक या सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी परीक्षण प्रयोगशाला के प्रधान के नियन्त्रणाधीन किसी प्रयोगशाला में औषधियों के परीक्षण में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव।

**(ख) अधिमानी अर्हता**— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट— अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-03 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**

- (v) **आयुसीमा** — आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1995 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)
- (vi) **उच्चतम आयु सीमा में छूट** :- विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**02. राष्ट्रीयता** : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; अथवा (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**टिप्पणी** :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**03. चरित्र** :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी** :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**04. वैवाहिक प्रारिथि** :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**05. शारीरिक स्वस्थता** :- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सेवा में किसी राजपत्रित पद के मामले में किसी चिकित्सा परिषद द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे।

**06. आरक्षण** : ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के "परिशिष्ट-01" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अथवा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-01" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ-पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परम्परागत आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस-जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

**07. आवेदन पत्र का स्वरूप** :- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह- 'ख' के अन्तर्गत वरिष्ठ विश्लेषक-औषधि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है:-

01.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	13 फरवरी, 2016 ( शनिवार )
02.	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	19 फरवरी, 2016, ( शुक्रवार )

(I) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर जाएं।

(II) ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR SENIOR ANALYST- DRUGS (GROUP 'B') RECRUITMENT-2016** के सम्मुख "[Click Here](#)" पर जाएं एवं [Continue](#) करें।

- (III) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
- (IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।
- (V) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (40 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (20 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो) में अपलोड करने होंगे।
- (VI) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।
- (VII) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- (VIII) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।
- (IX) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

**08. शुल्क** :- ऑनलाइन आवेदन के "Candidate Registration" का प्रारूप भरने पर ई-चालान का प्रिंट आउट अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे, जिसमें दो प्रतियां होगी। उक्त ई-चालान के माध्यम से ही अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक, जिसका ई-चालान अभ्यर्थी ने प्रिंट किया है, की किसी शाखा में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करेंगे। ई-चालान के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 150/- मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 150/- मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 60/- मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 60/- मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रु० 60/- मात्र

## 09. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलिओं /मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 एवं प्रथम संशोधन, 2013 व द्वितीय संशोधन, 2014 एवं तृतीय संशोधन, 2015 आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(04) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/ साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(06) स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(07) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(08) स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** – वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपर से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपर से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) परीक्षा भवन में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) स्क्रूनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो ) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रूनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रूनिंग परीक्षा /साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(17) स्क्रूनिंग परीक्षा/ साक्षात्कार में सामान्य वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) नियमावली द्वारा प्रत्येक चरण में विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम (परिशिष्ट-02) का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- (21) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (22) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (24) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (25) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (27) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (28) प्रश्नगत चयन हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (29) सम्बन्धित पदों हेतु चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।
- (30) अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई०डी० कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/बैंक पासबुक/केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी आई० कार्ड० में से किसी एक अभिलेख/आई०डी० का विवरण अवश्य अंकित करें तथा स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान उक्त आई०डी० अभ्यर्थी अपने साथ अवश्य रखें, जिसका विवरण ऑनलाइन आवेदनपत्र में किया गया हो एवं मांगे जाने पर उक्त आई०डी० की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- नोट :** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट/मूल प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(एस०एन०पाण्डेय)  
सचिव।



परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....  
..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे  
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0)  
आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता  
दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार  
उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में  
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

मुहर :

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री  
श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....नगर .....  
..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है।  
यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण  
अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त  
अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा  
यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र  
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/  
सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....तहसील .....  
नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,  
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में  
लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त  
श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या - .....

तारीख .....निःशक्तता

प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार का  
हाल का फोटो जो  
उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....

.....आयु ..... लिंग .....पहचान चिन्ह .....  
निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

- क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)
- (i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
- (iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
- ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
- (i) बी – अंधता
- (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
- (i) डी–बधिर
- (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :-
- |  |          |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।              | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।    | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                 | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                          | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                         | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                       | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।             | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।   | हाँ/नहीं |

डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

“परिशिष्ट-02”

समूह 'ख' के पदों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय: 2 घण्टे

प्रश्नों की संख्या :150

पूर्णांक : 150

**खण्ड-1 सामान्य अध्ययन**

प्रश्नों की संख्या : 70

पूर्णांक : 70

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं
2. खेल एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक)
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
5. भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
6. प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, सतत एवं समावेशी विकास
7. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
8. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक
9. भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान-भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, **संघीय कार्यपालिका**- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, **संघीय व्यवस्थापिका**- संसद, **न्यायपालिका** -सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, **राज्य सरकार तथा प्रशासन** - राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान सभा, पंचायती राज संस्थाएं।
10. **मानवाधिकार** -मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं (1948), भारत में मानवाधिकार तथा कर्तव्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
11. **ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम।**
12. **सामान्य विज्ञान**-दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।
13. **विकास एवं पर्यावरणीय समस्याएं**-विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का विसर्जन, इन समस्याओं से बचने के उपाय;पर्यावरण संरक्षण कानून।
14. **जैव-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे** -जैव प्रौद्योगिकी, नये रोग रोधक टीकों का विकास, आनुवांशिक रूप से विकसित पौधे, मनुष्य के कटे तथा निर्जीव अंगों का पुनर्विकास, बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषण की रोकथाम, जैविक ईंधन।
15. **भारत में विज्ञान एवं प्राद्योगिकी का विकास** -(अ) ऊर्जा एवं जल संसाधन - ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा संरक्षण, परम्परागत ऊर्जा स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, भारतीय जल संसाधनों के प्रकार, उपयोग तथा प्रबन्धन।  
(ब) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर** -सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास, उपयोगिता तथा दुष्परिणाम। कम्प्यूटर के मूलभूत भाग, संरचना तथा उपयोग।

## खण्ड-2

### उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान

प्रश्नों की संख्या : 20

पूर्णांक : 20

1. सामान्य भूगोल – स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावचन, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनांकिकी संरचना, यातायात एवं संचार-तंत्र।
2. इतिहास–  
क- प्राचीन काल- निवास करने वाली जाति/प्रजातियां, राजवंश (कुणिन्द, पौरव एवं कत्यूरी)।  
ख- मध्यकाल-उत्तर कत्यूरी, चन्द और पवार राजवंश।  
ग- आधुनिक काल-गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का परिदृश्य।
3. प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन – जल, वन, वन्य जीव संरक्षण- पार्क एवं अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी।
4. राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश- राज्य, जनपद व तहसील स्तर का प्रशासनिक संगठन।
5. शिक्षा एवं संस्कृति- उत्तराखण्ड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बोली/भाषा, रीति-रिवाज, उत्सव व मेले।
6. समाज सुधार आंदोलन- कुली बेगार, डोला- पालकी एवं वन आंदोलन।
7. आर्थिक विकास- जल-विद्युत्, औद्योगिक, औद्यानिक एवं पर्यटन तथा औषधि उद्योग संवर्द्धन।
8. विकासपरक योजनाएं- अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी योजनाएं।
9. समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं।
10. खेल कूद एवं मनोरंजन।

## खण्ड-3

### सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमालिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, लुप्त वर्ण, अंक और अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध- कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनसे संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

खण्ड-4 भाषा

(अ) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 20

पूर्णांक : 20

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द-समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग / प्रत्यय
5. तत्सम-तद्भव शब्द
6. वर्तनी-शुद्धि
7. वाक्य-शुद्धि
8. समास
9. सन्धि-विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(ब) सामान्य अंग्रेजी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 10

पूर्णांक : 10

1. Use of Prepositions.
  2. One Word substitution.
  3. Use of Articles in English.
  4. Common errors in English.
  5. Idioms.
  6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
  7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).
- A- Synonyms.  
B- Antonyms.  
C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.  
D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

# **Syllabus of Screening Test for Group 'B' Posts**

**(Objective Type)**

Time: 02 hours    Number of Questions: 150

Maximum Marks: 150

## **SECTION I: GENERAL STUDIES [M.M.:70]**

1. Current events of National and International importance.
2. Sports and Entertainment.
3. Indian History (ancient, medieval, modern).
4. Indian National Movement.
5. Indian Geography, Economy and Agriculture.
6. Natural Resources, Planning, Sustainable and Inclusive Development.
7. Natural Calamities and Disaster Management.
8. Human Resource Development Index of India.
9. Basic Knowledge of Indian Constitution - Salient features of Indian Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. The Union Executive – The President, Prime Minister, Council of Ministers, The Union Legislature – Parliament, The Judiciary – Supreme Court and High Court, State Government and Administration – Governor, Chief Minister and Council of Ministers, Legislative Assembly, Panchayati Raj Institutions.
10. Human Rights – Meaning of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (1948), Human Rights and Duties in India, National Human Rights Commission.
11. Various aspects of Rural and Urban Development.
12. General Science- application of Science in day- to - day life.
13. Development and Environmental Problems- Main Problems related to development, population growth, environmental pollution, emission of greenhouse gases and measures to overcome the problems. Laws for environmental conservation.
14. Biotechnology and Health Issues: Biotechnology, development of vaccines against new diseases, genetically developed plants, regeneration of worn out and dead tissues and human organs, control of pollution using bacteria, biofuel.
15. Development of Science and Technology In India :
  - A. Energy and Water Resources: Energy crisis, energy conservation, conventional energy sources, renewable energy, types of Indian water resources, use and management.



- B. Information, Communication Technology and Computers: Development of information and communication technology in India, benefits and adverse effects. Basic components and structure of computer and its uses.

## Section II

### General Knowledge Related to Uttarakhand State

Number of Questions: 20

Maximum Marks: 20

1. General Geography- Location and Extent, Structure and Relief, Climate and Drainage systems, Demography, Transport and Communication network.
2. History-
  - (a) Ancient Period- Inhabiting races and tribal groups, Dynasties (*Kuninda, Paurav and Katyuri*).
  - (b) Medieval Period – Later *Katyuri, Chand* and *Panwar* dynasties.
  - (c) Modern Period- Gorkha and British Period, Post-Independence scenario.
3. Natural and Economic Resources- Water, Forest, Minerals, Livestock, Agriculture and Horticulture, Wild-life conservation, Parks and Sanctuaries
4. Political and Administrative Setup- Administrative setup at the State, District and Tehsil levels.
5. Education and Culture- Educational and Training Institutions, Dialects and Languages, Customs and Traditions, Festivals, and Fairs.
6. Social Reform Movements – Coolie *Begar, Dola -palki*, and Forest Movements.
7. Economic Development- Hydro-electricity, Industry, Horticulture, Tourism, and Herbal Industry development.
8. Developmental Plans– Scheduled Castes and Tribal Development planning.
9. Important Contemporary events.
10. Sports and Entertainment.

## Section III: General Intelligence Test

Number of Questions: 30

Maximum Marks: 30

Questions of verbal , non-verbal and analytical types, analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding –decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

## Section IV: Language

### (A) GENERAL HINDI (High School Level)

Number of Questions: 20

Maximum Marks: 20

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द-समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग / प्रत्यय
5. तत्सम-तद्भव शब्द
6. वर्तनी-शुद्धि
7. वाक्य-शुद्धि
8. समास
9. सन्धि-विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

### (B) GENERAL ENGLISH (High School Level)

Number of Questions: 10

Maximum Marks: 10

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).
  - A- Synonyms.
  - B- Antonyms.
  - C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.
  - D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

Logo of  
Officer  
(If available)

## Experience Certificate

Name of Deptt./Office: .....  
 Address of Deptt./Office: .....  
 Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: .....  
 Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust:.....  
 Telephone No.:.....  
 Website:.....

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .... Son /Daughter /Wife of shri..... is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch/other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign .....  
 (Signature & Name of Authorized  
 Signatory in Capital Letters)  
 Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

\* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग (CGPA, OGPA, SGPA etc.) प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु

**Ref. No.-**

**Date:-**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० ..... पुत्र/  
पुत्री/पत्नी श्री ..... इस विश्वविद्यालय/संस्थान में विषय/उपविषय  
**(Subject/Branch)** .....में स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत  
थे/थी, जिनका/जिनकी पंजीकरण संख्या ..... है।

इस विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गये  
ग्रेडिंग को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र ..... है।  
स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक ..... प्रतिशत है।

कुलसचिव  
(हस्ताक्षर एवं सील)